न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
34 / 2022	17-05-2022	23.11.2022

बनामवान :-

01. हरिसिंह पुत्र स्व. श्री रतिराम यादव उम्र करीब 60 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)।

—— प्रार्थी

ब ना म

01 सुरतसिंह पुत्र रामअवतार
02 महिपाल पुत्र रामअवतार
03 ममता पुत्र रामअवतार
04 राजेश पुत्री रामअवतार
05 सन्तरा पत्नि रामअवतार जाति अहीर निवासीगण ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
06 श्रीमान तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)
—:: संशोधित निर्णय ::—

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हरिसिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया है हाल आराजी खसरा नम्बर 363 रकबा 0.32 है0, 365 रकबा 1.00 है0वाके ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त का अंकन दरामद हो रहा है। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान से लगती हुई भूमि आराजी खसरा नम्बर 362 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की है जो मिन प्रार्थी की हिस्से की उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 363 व 365 व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 के हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 362 के बीच में डौल है, जिस डौल को अप्रार्थीगण आये रोज बदनियति से तोडकर मिन प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 363 व 365 को आराजी खसरा नम्बर 362 में मिलाने की कुचेष्टा में है तथा धमकी देते है कि उक्त डौल को तोडकर उक्त आराजी को अपनी आराजी में मिलाकर रहेंगे। आये दिन मिन प्रार्थी के हिस्से की भूमि में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर मिन प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। जिस पर मिन प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार तिजारा को उक्त आराजी की पैमाईश कराने हेतु पेश किया। जिस पर तहसीलदार तिजारा ने हल्का

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का ... निम्न ... है :-

1— यह है कि हाल आराजी खसरा सं. 363 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, 365 रकबा 1.

पटवारी व कानूनगों को आदेशित किया। हल्का पटवारी व कानूनगों ने तहसीलदार तिजारा के आदेश क्रमांक 20 दिनांक 27.04.2022 की अनुपालना मे दिनांक 10.05.2022 को हल्का पटवारी लुहादेरा व खलीलपुरी ने मौके पर आकर आराजी खसरा नम्बर 365 दक्षिणी–पूर्वी कोने पर मुन्तकिल बिन्दू मानकर हाल आराजी खसरा नम्बर 363 रकबा 0.32 है0, 365 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम लुहोदरा तहसील तिजारा जिला अलवर की चारों ओर से सीमा जानकारी की एवं आराजी खसरा नम्बर 363 के उत्तर–पश्चिमी कोने पर जमीन आराजी खसरा संख्या 362 की तरफ निकलना और मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की व सीमाज्ञान कर मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की मौक पर वहा उपस्थित लोगों व मिन प्रार्थी के हस्ताक्षर कराकर, हल्का पटवारी ने अपने हस्ताक्षर कर मौका पर्चा रिपोर्ट दिनाक 10.05.2022 तैयार कर श्रीमान तहसीलदार साहब तिजारा को पेश किया। मुताबिक मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 10.05.2022 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 363 रकबा 0.32 है0, 365 रकबा 1.00 है0वाके ग्राम लुहोदरा तहसील तिजारा जिला अलवर में मिन प्रार्थी के मुताबिक जमाबन्दी हिस्से की भूमि की पत्थरगढी कराई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को समन नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 बाद तामिल अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 पैराकार सरकार तहसीलदार तिजारा फोरमल पक्षकार है द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र बहस व पत्रावली अवलोकन उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 10.05.2022 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 363 रकबा 0.32 है0, 365 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम लुहोदरा तहसील तिजारा जिला अलवर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तिजारा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0